न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : (15 / 275 / 2022) 39 / 2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : (28.10.2022) 13.09.2023 निर्णय दिनांक : 27.03.2024

1. बनवारी लाल पुत्र महादेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी सी–95 सूर्य नगर अलवर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. उमराव लाल पुत्र महोदव
2. ओमप्रकाश पुत्र महादेव
3. नत्थू राम पुत्र महोदव
   निवासी बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राजपूरा सिक्ख, तहसील नारायणपुर जिला अलवर
4. श्रीमति बिमला देवी पुत्री महादेव पत्नि महेन्द्र कुमार पांचोली, निवासी पंचोलियो की ढाणी, नाल्या, ग्राम पंतापगढ, उपतहसील प्रतापगढ़, तहसील थानागाजी जिला अलवर
5. श्रीमति सुन्डी देवी पुत्री महादेव पत्नि श्री रामस्वरूप मेहता, मेहतो की ढाणी, ग्राम दुहार चौगान, तहसील थानागाजी जिला अलवर
6. श्रीमति सन्तो देवी पुत्री महादेव पत्नि स्व0 श्री मंगतराम पंचोली, निवासी पंचोलियों की ढाणी, तहसील थानागाजी जिला अलवर

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित ।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u> दिनांक–27.03.2024

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 14.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला अलवर नया जिला कोटपूतली बहरोड़ के समक्ष प्रकरण बउनवानी बनवारी बनाम उमराव वगैरा विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी ने अपनी व्यक्तिगत विषम परिस्थितियां जाहिर करते हुए उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 03 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा लेकिन उचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही किया। अन्य अप्रार्थीगण विधिवत तामील होने पर उचित अवसर दिये जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे।
3. प्रार्थी को सुना गया।
4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त अनुवान

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

का वाद बाबत विभाजन का है जिसमें पक्षकारान के महत्वपूर्ण अधिकारो का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी वर्तमान में अलवर शहर में निवास करता है तथा प्रार्थी भारतीय वायु सेना से रिटायर्ड है। प्रार्थी सेवा निवृत्त हो चुका है। वह सपरिवार शांतिपूर्ण तरीके से अपने परिवार के साथ अलवर शहर में निवास करता है। दुर्भाग्य से प्रार्थी ह्रदय रोग से पीडित है तथा वह चिकित्सक सलाह के अनुसार ज्यादा सफर नही कर सकता। प्रार्थी को प्रत्येक पेशी पर नारायणपुर आना जाना होता है। प्रार्थी को नारायणपुर में जाने में करीब ढाई से तीन घण्टे का समय लगता है जो प्रार्थी के लिये अत्याधिक तकलीफ देय है। प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर मौके का फायदा उठाकर उसके तीन भाई अवैध व अनाधिकृत तरीके से कब्जा करना चाहते है तथा वे इस बाबत प्रार्थी को कोर्ट में जाने पर धमकी भी देते है तथा प्रार्थी पर अनुचित दवाब बनाकर मुकदमे को वापिस लेने की बाबत धमकी देते है। पिछली कुछ पेशियो से प्रार्थी का कुछ अज्ञात व्यक्ति पीछा करते है। प्रार्थी को युक्ति युक्त अंदेशा है कि वे प्रार्थी पर जानलेवा हमला कर सकते है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा मौखिक जानकारी पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर को भी दी जा चुकी है परन्तु उनके द्वारा कोई जवाब अथवा कार्यवाही नही की गई है। प्रार्थी द्वारा एक शिकायत श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय जिला अलवर को भी लिखित में दिनांक 11 10 2022 को प्रस्तुत की गई है जिनके द्वारा प्रार्थी को सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। ऐसी विषम परिस्थिति में प्रार्थी स्वय के अधिकारो की रक्षा करने में असमर्थ है तथा मुकदमे की पैरवी नारायणपुर जाकर करना संभव नही है। न्यायहित में यह आवश्यक है कि प्रार्थी का मुकदमा किसी भी अन्य उपखण्ड न्यायालय अलवर में अलवर शहर के नजदीक किया जावे ताकि प्रार्थी अपने मुकदमे की पैरवी कर सके। इस प्रकार प्रार्थी ने उक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किये जाने हेतु निवेदन किया ।

5. अप्रार्थी संख्या 03 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा लेकिन उचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही किया। अन्य अप्रार्थीगण विधिवत तामील होने पर उचित अवसर दिये जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे।
6. प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई। उपखण्ड अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को न्यायालय से संबंधित नही होना बताया है तथा प्रार्थी को यदि किसी प्रकार की परेशानी है तो न्यायालय में लिखित में शिकायत प्रस्तुत करने बाबत जाहिर किया है।
7. प्रार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त उनवानी प्रकरण बनवारी बनाम उमराव वगै0 मुकदमा संख्या 01/2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को स्थानांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को शीघ्र मूल पत्रावली प्रेषित करें। उपखण्ड अधिकारी बानसूर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें। उभयपक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष दिनांक 1.3/4/24 (12/4/24) को उपस्थित होवें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर/बानसूर को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़
कोटपूतली-बहरोड